मांग संख्या 01

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 1

राज्य निर्वाचन आयोग में सेटअप के 42 अतिरिक्त नवीन पदों की सृजन हेतु ₹100.49 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। इस हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1	अवर सचिव	लेवल-13	01
2	सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल-12	01 (प्रतिनियुक्ति)
3	जनसंपर्क अधिकारी	लेवल-12	01 (प्रतिनियुक्ति)
4	सहायक ग्रेड-2	लेवल-4	21
4	सहायक ग्रेड-3	लेवल-3	09
5	फर्राश पार्ट टाईम		09
	योग		**42**

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 2, 3, 6 एवं 7

सचिवालय के लिए लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई, परिवहन व्यय, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण एवं आतिथ्य व्यय हेतु ₹ 325.05 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,25,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

सचिवालय के लिये कार्यालय व्यय हेतु अन्य आकस्मिक व्यय मद के अंतर्गत ₹ 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

सचिवालय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मद के अंतर्गत ₹ 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

राष्ट्रीय पर्व आयोजन हेतु अनुदान अंतर्गत ₹ 44.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 44,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 9 से 12

सी.आई.डी. (इकोनामिक आर्फेसेस) हेतु राशि ₹ 233.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100.00 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

इस हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय हेतु ₹ 2,32,50,000 के अनुपूरक अनृदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 13

छ.ग. लोक आयोग कार्यालय भवन में सोलर पावर प्लांट (सौर संयंत्र) के स्थापना हेतु ₹18.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 7610

मद क्रमांक 14

अखिल भारतीय सेवाओं को उधार योजना हेतु राशि ₹ 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।